01/07/2024

आकाशवाणी ईटानगर

तीन नए आपराधिक कानून - भारतीय न्याय संहिता, दो हजार तेईस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दो हजार तेईस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दो हजार तेईस आज से लागू हो गए। इन विधेयकों को पिछले साल शीतकालीन सत्र के दौरान संसद ने पारित किया था। नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन कानूनों का उद्देश्य सभी के लिए अधिक सुलभ, सहायक और कुशल न्याय प्रणाली बनाना है। नए आपराधिक कानूनों के प्रमुख प्रावधानों में घटनाओं की ऑनलाइन रिपोर्टिंग, किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करना और पीड़ितों को एफआईआर की मुफ्त प्रति मिलना शामिल है। इसके अलावा गिरफ्तारी की स्थिति में व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में अपनी पसंद के व्यक्ति को सूचित करने का अधिकार है। नए कानूनों ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को भी प्राथमिकता दी है, ताकि सूचना दर्ज होने के दो महीने के भीतर जांच पूरी हो सके अब सम्मन इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जा सकेंगे, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी आएगी, कागजी कार्रवाई कम होगी, तथा सभी संबंधित पक्षों के बीच कुशल संचार सुनिश्चित होगा।

0000000000000000000000000

अरुणाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश ने पूरे राज्य में कहर बरपाया हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने 9 जिलों पापुम पारे, कुरुंग कुमे, ईस्ट कामेंग, लेपारादा, ईस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली, नामसाई, लोहित और चांगलांग के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बाकी जिले ऑरेंज या येलो जोन में हैं। पापुम पारे जिले में बादल फटने के बाद सभी जल निकाय और पारे नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सागली के पास पारे हाइड्रो प्रोजेक्ट ने आज रिकॉर्ड एक हजार चौतीस क्यूबिक मीटर पानी छोड़ा है, जो दो हजार चौदह के बाद से सबसे अधिक है और इसके फिर से बढ़ने की संभावना है। निचले इलाकों में रहने वालों को सतर्क रहने और अगले कुछ दिनों तक नदी के किनारों से दूर रहने की सलाह दी गई है। राजधानी शहर ईटानगर में, जिला प्रशासन ने लगातार भारी बारिश के कारण कल से अगले पांच दिनों के लिए सभी स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया है।

इस बीच, पासीघाट-पागिन-आलो मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण सड़क अवरुद्ध होने की सूचना मिली है। लोगों को भारी बारिश और रात के समय इस मार्ग से गुजरने से बचने की सलाह दी गई है। इस बीच, मरम्मत का काम जारी है।

0000000000000000000000000

राजधानी ईटानगर पुलिस ने आज ईटानगर पुलिस स्टेशन में नई आपराधिक कानून के कार्यान्वयन पर एक जागरुकत सह शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में जिला उपायुक्त श्वेता नागरकोटी मेहता भी मौजूद थी। इस अवसर पर मिडियाकर्मियों से बात करते हुए राजधानी पुलिस अधीक्षक प्रभारी अंगद मेहता ने कहा कि तीन नए कानून के लागू होने पर अरुणाचल प्रदेश में दोषसिद्धि दर में बढ़ोत्तरी होगी। उन्होंने कहा कि नागरिकों की मदद के लिए विभिन्न उपाय किए गए जैसे पारदर्शिता, पिड़ितों को मुआवजा, गवाह सुरक्षा और अन्य संदर्भ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कई उपाय किए गए है। उन्होंने विश्वास जताई कि ईटानगर पुलिस और प्रदेश पुलिस के सभी संगठन आगे खड़े है। श्री मेहता ने ऑनलाईन एफआईआर, जीरो एफआईआर और सामान्य एफआईआर के प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने शहरी पक्षपात और किस तरह से नई कानून पुलिस की भूमिका को सशक्त करेगा के उसके बारे में जानकारी दी।

00000000000000000000

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आज एक हजार पांच सौ तिरसठ उम्मीदवारों के संशोधित परिणाम और NEET (UG) परीक्षा के सभी उम्मीदवारों की रैंक की घोषणा की। NTA ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सभी उम्मीदवारों के संशोधित स्कोर कार्ड इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसमें कहा गया है कि आठ सौ तेरह उम्मीदवार पुनः परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे।

0000000000000000000

नामसाई और चांगलांग जिले के बाढ़ ग्रस्त गांवों में फंसे लोगों को बचाने और राहत मुहैया कराने के लिए असल राईफल्स ने “ऑपरेशन सेवियर” का आगाज किया है। चौखाम, हाथी मारा बील, श्रीस्ष्टिपुर, धरमपुर, मुदोई और विजयपुर से करीबन पांच सौ सिविलियन को बचाया गया है। असम राईफल्स बल ने बाढ़ पीड़ितों के लिए अस्थायी कैंप और आश्रय स्थल स्थापित किए है। बल जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित किए हुए है ताकि आपातकालिन स्थिति में राशन, खाद्य सामग्री और दवा मुहैया कराया जा सके।

000000000000000000000

नामसाई जिला प्रशासन और राज्य इंडिजिनियश मामला विभाग ने मिलकर आज नामसाई टाउन क्लब में पौरोहित्य संस्कृति के संरक्षण पर कार्याशाला सह सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में इंडिजिनियश मामला विभाग के निदेशक सोकेप क्री ने पौरोहित्य के सदियों पुरानी अध्यात्मिक पद्धति के संरक्षण और संवर्धन पर बात की। कार्यक्रम में विभिन्न समुदायों के पुजारियों ने भाग लिया।

000000000000000000000000

भारत और पाकिस्तान ने आज नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक-दूसरे की हिरासत में मौजूद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान-प्रदान किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद तीन सौ छाछट नागरिक कैदियों और छियासी मछुआरों के नाम साझा किए हैं, जो पाकिस्तानी हैं या जिन्हें पाकिस्तानी माना जाता है। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद तैतालीस नागरिक कैदियों और दो सौ ग्यारह मछुआरों के नाम साझा किए हैं, जो भारतीय हैं या जिन्हें भारतीय माना जाता है। ऐसी सूचियों का आदान-प्रदान हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को कॉन्सुलर एक्सेस 2008 पर द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों के तहत किया जाता है।

0000000000000000000000000